

सेवा में,

SRI/SMT/KM :
S/O/D/O/W/O :
ADDRESS :
DISTT :
PIN CODE :

मांग-पत्र

विषय:- परिषद की अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड), शहीदपथ, लखनऊ के सेक्टर 7 डी में अफॉडेबुल हाउसिंग पालिसी-2016 के अधीन सरयू एन्क्लेव के अन्तर्गत 2बी0एच0के0 टाईप-ए प्रकार के प्लैट संख्या- ----- के आवंटन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको हर्ष के साथ सूचित करना है कि परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के सेक्टर 7डी में अफॉडेबुल हाउसिंग पालिसी-2016 के अधीन सरयू एन्क्लेव के अन्तर्गत 2बी0एच0के0 टाईप-ए प्रकार में आपके प्रार्थना पत्र दिनांक----- के क्रम में आपको पंजीकरण/फार्म संख्या----- के विरुद्ध प्लैट संख्या-----का आवंटन हुआ है।

आपको पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना है :

- (1) प्लैट का अनुमानित विक्रय मूल्य रू0 लाख
- (2) प्लैट का सुपर एरिया 77.09 वर्ग मी0
निर्मित क्षेत्रफल 59.11 वर्ग मी0
- (3) जमा पंजीकरण धनराशि रू0 -----.00
- (4) पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा की जाने वाली धनराशि रू0 ----- लाख
जमा पंजीकरण धनराशि/पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा की जाने वाली धनराशि पर 12 प्रतिशत देय जी.एस.टी. शुल्क रू000
- (5) अवशेष धनराशि (11त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जाना है। रू0 लाख
- (6) प्रथम त्रैमासिक किश्त की धनराशि जो दि0 से और अंतिम 11वीं त्रैमासिक किश्त दिनांक को देय होगी (प्रत्येक किश्त की देय अवधि त्रैमास के प्रथम दिनांक से त्रैमास के अन्तिम दिनांक तक देय होगी।) रू000
प्रथम त्रैमासिक किश्त की धनराशि जो दि0 से और अंतिम 11वीं त्रैमासिक किश्त दिनांक को देय धनराशि पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. शुल्क (प्रत्येक किश्त पर देय जी.एस.टी. शुल्क की अवधि त्रैमास के प्रथम दिनांक से त्रैमास के अन्तिम दिनांक तक देय होगी।) रू000

नोट:- जमा पंजीकरण धनराशि के ड्राफ्ट के समाशोधन की पुष्टि के बाद ही मांग पत्र वैध होगा एवं पंजीकरण फार्म शुल्क रू0 500.00 परिषद के ऐक्सिस/आन्धा बैंक, किसी भी शाखा में जमा कर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें।
अन्तिम मूल्यांकन प्राप्त होने के उपरान्त अंतिम प्रदेशन-पत्र निर्गत किया जायेगा। कृपया अपनी उपर्युक्तानुसार किश्तों एवं जी.एस.टी का भुगतान एक्सिस/आन्धा बैंक की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई डी/चालान द्वारा धनराशि जमा करें।

भवदीय

Specimen Copy



सम्पत्ति प्रबन्धक, अवध विहार
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

P.T.O.

नियम एवं शर्तें

- (1) पंजीकरण/आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (2) मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम एक मुश्त देय धनराशि का भुगतान 30 दिनों के अन्दर तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (3) यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये जो अधिकतम तीन माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज $(11.5+2) = 13.5\%$ प्रतिशत देय होगा तथा ब्याज की गणना मासिक की जायेगी।
- (4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका पंजीकरण पुस्तिका के नियम 5.3 के अनुसार स्वतः निरस्त हो जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के की जायेगी। आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा। जिसकी वापसी परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।
- (5) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- (6) पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदो के विरुद्ध देय धनराशि जमा करने की सूचना प्रदेशन पत्र (Allotment Letter) द्वारा दी जायेगी।
- (7) "किश्तों की धनराशि जमा करने हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर Generate E-Challan पर क्लिक कर ई-चालान जनरेट करें। ई-चालान पर लिखे 12 संख्या की यूनिक प्रापर्टी आई0डी को सुरक्षित रखें, ई-चालान के आधार पर एक्सिस बैंक/आन्धा बैंक की किसी भी शाखा में आप धनराशि जमा कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना पर संपर्क करेंगे। सेवाकर के विरुद्ध देय धनराशि खाता संख्या-00500200001537 IFSCCODE-BARB0HAZARA बैंक ऑफ बडौदा, स्पीड मोटर्स बिल्डिंग, 3 शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ जमा करना होगा। उक्त धनराशियों का भुगतान आनलाईन भी किया जा सकता है।
- (8) बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, आवेदन फ्लैट श्रेणी एवं सेक्टर का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।
- (9) फ्लैट के मूल्य में कमी-वृद्धि हो जाने पर, अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।
- (10) किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे समस्त संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होंगी।
- (11) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह (60 दिनों) के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (12) बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में क्रेडिट होने की दशा में ही आवंटन वैध होगा।
- (13) सेवाकर के सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा समय-समय पर लागू दरें मान्य होंगी।

शुभकामनाओं सहित।

किश्तों के भुगतान हेतु स्वयं से ई-चालान बनाएं।

website:www.upavp.com;E-mail: info@upavp.com

office E-mail - avadhviharlko@upavp.com/Tollfree No-1800-180-5333